न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

...ल संख्या 189/2020

बीरबल पुत्र बलुराम जाति जाट निवासी बास नानग तहसील झुझुनू जिला झुंझुनूं।

— — अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार झुझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं

— — रेस्पोडेन्ट्

...पील बखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार झुझुनू उनवानी बीरबल अ.धारा 91 राज. भू.राज. अधिनियम मु.न. 117/2018 बखिलाफ आदेश दिनांक 30.01.2019

...स्थित:–

1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.01.2021

...ली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरूद्व ...प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस ...गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 ...कार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह कि अदालत मातहत का आदेश ...द्ध कानून व पत्रावली होने से खारीज होने योग्य है। वाके ग्राम बास नानग में सरकारी भूमि ख. ...के दक्षिण में अपीलान्ट की काश्त की भूमि ख.न. 69 तादादी 0.02 हैक्टर व ख.न. 809/70 ...दी 1.20 हैक्टर काश्त की जमीन सटकर के है व प्रार्थी की काश्त की जमीन के बाड़ पुश्तैनी ...से ही है। अब काई नया काम नहीं व प्रार्थी ने अदालत मातहत में भी अपने जबाब में साफ ...किया था कि अपीलान्ट का कोई नया काम नही है। अपीलान्ट की बाड पुरानी है व इसी ...र पर तहसीलदार साहब ने अपीलान्ट को कहा था कि यह कार्यवाही ड्रॉप की जाती है व ...री हल्का व गिरदावर हल्का की टीम बनाकर के सरकारी जमीन की व आस पास के सभी की ...नों की नपती करवाकर के अगर अतिक्रमण हुआ तो नये सिरे से कार्यवाही करेगे। अदालत ...हत के यह कहने पर अपीलान्ट ने अपने मुकदमें की तरफ गौर नहीं किया अपीलान्ट तहसीलदार ...के कथन पर विश्वास कर घर बैठ गया। अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2019 मे ...दर्ज किया है। कि जबाब नोटिस पेश होने पर पुनः जांच करवाई दर्ज किया है परन्तु पत्रावली ...कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि पटवारी से दुबारा जांच करवाई जावे व बिना आर्डर सीट में आये ...बिना दुबारा जांच का आदेश देने का कथन पत्रावली पर नहीं है। अदालत मातहत ने इस तरफ ...नहीं किया व बाला–बाला ही अपीलान्ट के खिलाफ ... किया है। ...लान्ट के कथन की ताईद अदालत मातहत द्वारा जारी दफा 91 के ... भी जिसमें यह ...नहीं है कि किस वर्ष अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अपनी काश्त की ... पर ही अपने ...के समय से आबाद है व अपीलान्ट की काश्त की ... के समय से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपनी काश्त की जमीन की आवारा पशुओं से फसल के बचाव हेतु बाड़ पूर्वजो के से ही कर रखी है। अपीलान्ट ने कोई नई बाड़ नही की है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर न है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.01.2019 निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने लिखित बहस व वेज सूची किता 4 पेश कर बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए न किया कि वाके ग्राम बास नानग में सरकारी भूमि ख.न. 68 के दक्षिण में अपीलान्ट की काश्त ूमि ख.न. 69 तादादी 0.02 हैक्टर व ख.न. 809/70 तादादी 1.20 हैक्टर काश्त की जमीन र के है व प्रार्थी की काश्त की जमीन के बाड़ पुश्तैनी समय से ही है। अब कोई नया काम किया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 30.01.2019 में यह दर्ज किया है कि जबाब न पेश होने पर पुनः जांच करवाई दर्ज किया है परन्तु पत्रावली पर कही भी यह दर्ज नहीं है टवारी से दुबारा जांच करवाई जावे व बिना आर्डर सीट में आये व बिना दुबारा जांच का देने का कथन पत्रावली पर नहीं है। अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया व बाला ही अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 30.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण ई भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट शेड व बाड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं ी विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण तों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। ने अदालत मातहत द्वारा बास नानग स्थित भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 1.15 गैर मुमकीन ह में से 0.06 हैक्टर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। उक्त अतिक्रमण की बाबत न्ट का केवल यह तर्क है कि अपीलान्ट ने कोई नया निर्माण नहीं किया है तथा कब्जा पुराना वादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि आती है। भूमि द है, जिसपर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का किया गया कब्जा अवैध तथा कानून है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कब्जे को वैध माना जा सकें। अपीलान्ट अपना पक्ष रखने में विफल रहे है। अपील अपीलान्ट कोर्स नहीं है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गयज्ञं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:29:55 IST
Reason: SelfAttested